

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**  
 असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 236 ]  
No. 236]नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 12, 1997/अनुहायण 21, 1919  
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 12, 1997/AGRAJAYANA 21, 1919

कल्याण मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1997

सं. 12011/99/94-बी.सी.सी. भारत सरकार ने कार्मिक, लोक शिकायत, एवं पेंशन (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के का.ज्ञा. सं. 36012/22/93-स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के द्वारा केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती के जरिए पदों को भरने के लिए अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% रिक्तियां आरक्षित की हैं। इस का. ज्ञा. में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि उपर्युक्त आरक्षण के उद्देश्य से अन्य पिछड़े वर्गों में प्रथम चरण में उन जातियों/समुदाय को सम्मिलित किया जाएगा जो मंडल आयोग की रिपोर्ट की सूची तथा अन्य पिछड़े वर्गों की राज्य सरकार की सूची दोनों में समान हों।

2. 8 सितम्बर, 1993 के पूर्वोक्त कार्यालय ज्ञापन के कार्यान्वयन के परिप्रेक्ष्य में 14 राज्यों नामतः आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की समान सूचियों को कल्याण मंत्रालय के संकल्प सं. 12011/68/93-बी.सी.सी. (सी.), दिनांक 10 सितम्बर, 1993 में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची के रूप में अधिसूचित किया गया और भारत के राजपत्र—असाधारण—भाग-1, खंड 1, सं. 186, नई दिल्ली, सोमवार सितम्बर 13, 1993/भाद्र 22, 1915 में प्रकाशित किया गया।

3. तत्पश्चात् दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के पूर्वोक्त कार्यालय ज्ञापन कार्यान्वयन के संदर्भ में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने के लिए 4 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों नामतः उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, दादर व नगर हवेली, दमन व दीव तथा पांडिचेरी से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की समान सूचियां भी कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या 12011/9/94-बी.सी.सी. दिनांक 19 अक्टूबर, 1994 को अधिसूचित की गईं और इन सूचियों को भारत के राजपत्र असाधारण भाग-1, खंड-1, सं. 163, नई दिल्ली गुरुवार, अक्टूबर 20, 1994/आश्विन 28, 1916 में प्रकाशित किया गया।

4. तत्पश्चात् दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के पूर्वोक्त कार्यालय ज्ञापन के कार्यान्वयन के संदर्भ में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने के लिए 3 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र नामतः जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, सिक्किम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की समान सूचियों को भी कल्याण मंत्रालय के संकल्प सं 12011/7/95-बी.सी.सी., दिनांक 24 मई, 1995 के द्वारा अधिसूचित किया गया और भारत के राजपत्र असाधारण—भाग-1, खंड-1, सं.-88, नई दिल्ली, गुरुवार, मई 25, 1995/ज्येष्ठ 4, 1917 को प्रकाशित किया गया।

5. भारत सरकार ने अब कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के पूर्वोक्त कार्यालय ज्ञापन के कार्यान्वयन के संदर्भ में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने के लिए चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की समान सूची तैयार कर ली है और उपर्युक्त संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुबन्ध में संलग्न समान सूची को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। यह सूची इस संकल्प के जारी होने की तारीख 3162 G/97

(1)

से प्रभावी होगी ।

डा. एम.एस. अहमद, संयुक्त सचिव

अनुबन्ध

उत्तराखण्ड संघ राज्य क्षेत्र में संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) की केन्द्रीय सूची

क्र.सं.	अन्य पिछड़े वर्गों की संमान सूची में जातियों/समुदायों/ (उपजाति/सुमानार्थ) के नाम	अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में संघ राज्य क्षेत्र सूची में प्रविष्टि सं.	अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में की मंडल सूची में प्रविष्टि सं.
1.	अहेरिया, अहेरी, हेरी, नायक, थोरी अथवा तुरी	1	2
2.	बग्रिया/बगारिया	15	5
3.	बेरागी, बरागी/बरेगी	26	11
4.	बरई, तम्बोली/तोम्बोली	24	10
5.	बर्ी	2	6
6.	बरवार	23	7
7.	बटेरा/बट्टेरा	25	13
8.	बिटा, हेन्सी/हान्सी अथवा हेसी	3	15
9.	भरभूज, भरभूज	27	17
10.	भट, भत्रा, दरपी, रमिया	28	18
11.	भहलिया-लोहार, भुबलिया-लोहार	29	21
12.	चांग	30	19
13.	चांगर	4	1
14.	छिम्बा/चिम्बा	31	27
15.	चिरिमार/चिरमार	5	28
16.	अनुसूचित जातियों से परिवर्तित इसाई	59	84
17.	दैया	6	21
18.	दकौत/दहकौत	32	30
19.	धीमार, धीवर, झीवर, कहार, मल्लाह	13 और 33	35
20.	धोबी	20	36
21.	धोसाली, दोसाली	35	37
22.	फकीर	34	38
23.	गदरिया/गद्दरिया	37	39
24.	गवाला/गवाला/गोवाला/गोवाले/गवला	36	3
25.	घसियाण, घोसी	14	44
26.	चहंग तथा बहती सहित धीरघ	12	19
27.	गवारिया, गौरियो अथवा ग्वार	7	42
28.	हज्जाम/हजाम, नाई	39,19	47
29.	झांग्र-ब्राह्मण/झांगरा-ब्राह्मण/जंगा-ब्राह्मण, खटी	38,41	51,51
30.	जोगी, नाथ	40	52
31.	जुल्लाह/जुलाहा (बुनकर)	16	53

(अनुसूचित जाति के जो हैं उन्हें छोड़कर)



1	2	3	4
32.	कम्बोज	21	54
33.	कंजर, कंजन	8	57
34.	कुम्हार/कुमहार	18	63
35.	कुर्मी	9	64
36.	खधेरा	43	56
37.	कुचबंद	44	61
38.	लबना, वनजारा	17, 47	65
39.	लखेरा, मनिहार	46	66
40.	मदारी	48	67
41.	कोधी ( अनुसूचित जाति में जो हैं उन्हें छोड़कर )	50	74
42.	मिरासी	51	73
43.	नल्बन्द	53	78
44.	नार	10	76
45.	नुंगर	52	79
46.	पिजा, पेंजा	55	77
47.	राय-सिख	22	82
48.	रेचबन्द	42	81
49.	रेहर, रेहर/रेहारा, रेर/रे	11	83
50.	शोरगीर	54	85
51.	सिंधीकान्त, सिंगीवाला/सिधीवाला	57	86
52.	सोई	56	87
53.	तेली	58	90
54.	ठठेरा/ठठेरा	45	92

डा. एम.एस. अहमद, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF WELFARE  
RESOLUTION**

New Delhi, the 11th December, 1997

No. 12011/99/94-BCC.—The Government of India, vide the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions (Department of Personnel and Training) O. M. No. 36012/22/93-Estt. (SCT), dated the 8th September, 1993, have reserved 27 per cent of vacancies in civil posts and services under the Central Government, to be filled through direct recruitment, in favour of the Other Backward Classes (OBCs). This O.M. also specifies that the OBCs for the purpose of the aforesaid reservation would comprise, in the first phase, the castes/communities which are common to both the lists in the Report of the Mandal Commission and the State Governments' lists of OBCs.

2. The common lists of OBCs in respect of 14 States, namely, Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab, Tamil Nadu and Uttar Pradesh, in the context of implementation of the aforesaid O.M. dated the 8th September, 1993, were notified as the Central List of OBCs in the Ministry of Welfare's Resolution No. 12011/68/93-BCC(C) dated the 10th September, 1993 and published in the Gazette of India—Extraordinary—Part-I, Section-I, No. 186 New Delhi, Monday, September, 13th, 1993/Bhadra 22, 1915.

3. Subsequently, the common lists of OBCs in respect of 4 States and 3 Union Territories, namely, Orissa, Rajasthan, Tripura, West Bengal, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, and Pondicherry were also notified in the Ministry of Welfare's Resolution No. 12011/9/94-BCC dated the 19th October, 1994, for inclusion in the Central List of OBCs in the context of implementation of the aforesaid O.M. dated the 8th September, 1993, and published in the Gazette of India—

Extraordinary—Part-I, Section—I, No. 163, New Delhi, Thursday, October 20, 1994 Asvina 28, 1916.

4. Subsequently, the common lists of OBCs in respect of 3 States and 1 Union Territory, namely Jammu and Kashmir, Manipur, Sikkim, and the National Capital Territory of Delhi were also notified vide Ministry of Welfare's Resolution No. 12011/7/95-BCC dated 24th May, 1995, for inclusion in the Central Lists of OBCs in the context of implementation of the aforesaid O.M. dated the 8th September, 1993, and published in the Gazette of India—Extraordinary Part I, Section I, No. 88, New Delhi, Thursday, May 25th 1995/Jyaisatha, 4, 1917.

5. The Government of India have now drawn up the common lists of OBCs in respect of the Union Territory of Chandigarh, and have decided to notify the annexed common list in respect of the above mentioned Union Territory for inclusion in the Central List of OBCs in the context of implementation of the aforesaid O.M. dated the 8th September, 1993 of the Department of Personnel and Training. This list shall take effect from the date of issue of this Resolution.

DR. M. S.AHMAD, Jt. Secy.

#### ANNEXURE

#### CENTRAL LIST OF OTHER BACKWARD CLASSES (OBCs) IN RESPECT OF THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH.

#### UT: CHANDIGARH: COMMON LIST OF OBCs.

Sl. No.	Name of Castes/communities (including sub-castes/synonyms) in the common list of OBCs.	Entry No. in the UT. list of OBCs.	Entry No. in Mandal list of OBCs.
1	2	3	4
1.	Aheria, Aheri, Heri, Naik, Thori or Turi.	1	2
2.	Bagria/Bagaria	15	5
3.	Bairagi, Baragi/Baregi	26	11
4.	Barai, Tamboli/Tomboli	24	10
5.	Barra	2	6
6.	Barwar	23	7
7.	Batera/Battera	25	13
8.	Beta, Hensi/Hansi or Hasi	3	15
9.	Bharbhunja, Bharbhuja.	27	17
10.	Bhat, Bhatra, Darpi, Ramiya.	28	18
11.	Bhuhalia-Lohar, Bhubalia-Lohar.	29	21
12.	Chang.	30	19
13.	Changar.	4	1
14.	Chhimba/Chimba Chhippi/Chhipi/Chippi.	31	27
15.	Chirimar/Chrimar.	5	28
16.	Christian converted from Scheduled Castes.	59	84
17.	Daiya.	6	29
18.	Dakaut/Dahakaut.	32	30
19.	Dhimar, Dhinwar, Jhinwar, Kahar, Mallah	13&33	35
20.	Dhobi.	20	36
21.	Dhosali, Dosali.	35	37
22.	Faquir.	34	38
23.	Gadaria/Gaddaria.	37	39



1	2	3	4
24.	Gawala/Gwala/Gowala/Gowale/Gawla.	36	3
25.	Ghasiara, Ghosi.	14.	44, 45
26.	Ghirath including Chahng and Bahti	12	19
27.	Gwaria, Gauria or Gwar.	7	42
28.	Hajjami/Hazam, Nai.	39, 19	47
29.	Jhangra-Brahman/Jhangara-Brahman/ Jangra-Brahman, Khati.	38 41	51 51
30.	Jogi, Nath.	40	52
31.	Jullaha/Julaha (Weavers) (excluding those in Scheduled Caste).	16	53
32.	Kamboj.	21	54
33.	Kanjar, Kanchan.	8	57, 55
34.	Kumhar/Kumahar.	18	63
35.	Kurmi.	9	64
36.	Khanghera.	43	56
37.	Kuchband.	44	61
38.	Labana, Vanzara.	17, 47	65
39.	Lakhera, Manihar.	46	66
40.	Madari.	48	67
41.	Mochi (excluding those in Scheduled Caste).	50	74
42.	Mirasi	51	73
43.	Nalband.	53	78
44.	Nar.	10	76
45.	Noongar.	52	79
46.	Pinja, Penja.	55	77
47.	Rai-Sikh.	22	82
48.	Rechband.	42	81
49.	Rehar, Rehare/Rehara, Rer/Re.	11	83
50.	Shorgir.	54	85
51.	Singhikant, Singiwala/Singhiwala.	57	86
52.	Soi.	56	87
53.	Teli.	58	90
54.	Thathera/Thethera.	45	92

Dr. M.S. Ahmad, Jt. Secy.

3162 GE/97-2.